

न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम., कौच जनपद जालौन।

मूलवाद संख्या-213/2006

शम्भूदयाल आदि बनाम राजेन्द्र सिंह।

दिनांक 01.11.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। पत्रावली पर समय अन्तराल पर पुकार करायी गयी, परन्तु कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)/

जे.एम.कौच जनपद जालौन।

लंच बाद

पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली पुनः चार बजे पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)/

जे.एम.कौच जनपद जालौन।

चार बजे

पत्रावली पुनः चार बजे पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विगत कई तिथियों से वादी अनुपस्थित चल रहा है। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। जिससे प्रतीत होता है कि वादी की वाद को आगे अग्रसारित करने में रुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में मूलवाद संख्या-213/2006 वादी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूलवाद संख्या-213/2006 वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज(जू.डि.)/

जे.एम.,कोंच जनपद जालौन।